म0प्र0 कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

'चयन भवन' मुख्य मार्ग क्रं.1, चिनार पार्क(पूर्व), भोपाल (म.प्र.) – 462011
टेलीफोन नं.: (0755) 2578801-04 फैक्स नं.: 0755-2550498
वेबसाईट : www.esb.mp.gov.in

परीक्षा–परिणाम

समूह–3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा–2022

ऑनलाईन परीक्षा तिथि	:	06 से 12.11.2022 तक एवं 18.11.2022
परीक्षा परिणाम तिथि	:	10 फरवरी 2023

परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

10/2/23

म0प्र0 कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

समूह–3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा–2022 का परीक्षा परिणाम

कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा दिनांक 06 से 12 नबंवर 2022 तक मध्यप्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, रतलाम, रीवा, सागर, सीधी, उज्जैन एवं दिनांक 18.11.2022 को भोपाल शहर में समूह–3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा–2022 (ऑनलाईन परीक्षा) का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जानकारी एवं परीक्षा परिणाम के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. इस परीक्षा हेतु ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त **83485** मान्य आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र जारी किए गए थे।
2. ऑनलाईन परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा दिनांक 22.11.2022 को आदर्श उत्तर कुंजी वेबसाईट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसमें प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम उत्तर समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा समग्र रूप से विचार/अध्ययन कर अंतिम उत्तरों को अंतिम रूप दिया गया, जिसके अनुसार नार्मलाईज्ड प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया।
3. ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई श्रेणी, संवर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी व आवेदित पद से संबंधित विकल्प/प्राथमिकताक्रम के आधार पर नियमानुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है।
4. इस परीक्षा हेतु अंतिम रूप से उपलब्ध करवाई गई विभागवार, पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार पदों की संख्या, भरे गए पद, एवं कटऑफ अंकों का विवरण एवं प्रथम 10 स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।
5. नियमपुस्तिका के नियम क्रं. 5 के अनुसार ऑनलाईन परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. एवं निःशक्तजनः श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानते हुए विभागवार, पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है।
6. नियमानुसार निःशक्तजन संवर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित पद पूर्व से ही अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग/ओपन में सम्मिलित है। अतः जितने भी अभ्यर्थी निःशक्तजन संवर्ग के अंतर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित मेरिट के आधार पर प्राप्त हुए हैं, उनके पदों को संबंधित श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन के निर्धारित पदों में से घटाकर श्रेणी एवं विकलांग संवर्गवार परिणाम तैयार किया गया है। निःशक्तजन अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है।
7. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 एवं अन्य समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुसार "It is directed that respondent may continue with the selection process , but no final result of sub engineer shall be declared without the leave of this court" परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक थी। दिनांक 03.01.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में संबंधित प्रकरणों में आदेश पारित किया गया कि "It is only just and necessary that the respondents be permitted to declare the results. The declaration of the results and further processes will always be subject to further orders of this court" एवं माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर में प्रस्तुत की गई समान प्रकरण की याचिकाँओं में दिनांक 07.02.2023 को परिणाम जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं इंदौर के आदेश के परिपालन में परिणाम जारी किया जा रहा है।

10/2/23

8. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के साथ अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के दस्तावेज, अंकसूची, प्रमाण–पत्र आदि नहीं मंगाए गए थे। अतः तैयार की गई प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवेदक की समस्त जानकारियों, दस्तावेजों, प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन व परीक्षण संबंधित विभाग/कार्यालय के स्तर से किया जायेगा तथा उचित पाए जाने पर ही संबंधित विभाग/कार्यालय के नियमानुसार अंतिम चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

9. सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक सी 3–9/2019/1/3 दिनांक 22.02.2022 के अनुसार जिन आवेदकों ने आवेदन पत्र में बोनस अंकों की पात्रता हेतु विकल्प "हाँ" चयन किया है उन्हें नार्म्लाईज्ड अंकों के 5 प्रतिशत अंक बोनस प्रदान किये गये है। चूँकि दस्तावेज परीक्षण विभाग स्तर पर किये जायेंगे अतः आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त जानकारी यथा श्रेणी/संवर्ग/संविदा/बोनस संबंधी दस्तावेज उपर्युक्त नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा चयन/नियुक्ति संबंधी निणर्य लिया जायेगा, जो अंतिम एवं मान्य होगा।

10. नियमानुसार समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की आयु के आधार पर पारस्परिक वरीयता निर्धारित की गई है अर्थात् आयु में वरीष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी गई है।

11. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के साथ अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के दस्तावेज, अंकसूची, प्रमाण–पत्र आदि नहीं मंगाए गए थे। अतः तैयार की गई प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवेदक की समस्त जानकारियों, दस्तावेजों, प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन व परीक्षण संबंधित विभाग/कार्यालय के स्तर से किया जायेगा तथा उचित पाए जाने पर ही संबंधित विभाग/कार्यालय के नियमानुसार अंतिम चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

12. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार कर संबंधित विभाग/कार्यालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। अतः परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत समस्त कार्यवाही विभाग/कार्यालय स्तर से की जायेगी।

13. नियमपुस्तिका में दिए गए प्रावधान अनुसार "अंतिम उत्तर कुंजी" तथा "परीक्षा परिणाम" की जानकारी ई.एस.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है, जहाँ से अभ्यर्थी स्वयं का परीक्षा परिणाम डाउनलोड/मुद्रित कर सकते हैं।

भोपाल,

दिनांक : 10 फरवरी, 2023

10/2/23

10/2/2022

नियंत्रक
म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल
भोपाल